15

Form No:3391

Office of the District Basic Education Officer
MAHARAJGANJ

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **KDS INTERNATIONAL SCHOOL,LAXMIPUR EKDANGA** is permanently recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number alloted to KDS INTERNATIONAL SCHOOL is **19**.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	08-10-2022(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Pre-Primary School and Primary School
5.Recognition No.	19

DATE:- 08-10-2022

PLACE:- MAHARAJGANJ

District Basic Education Officer

Digitally signed by AASHISH KUMAR SINGH
Date: 2022.10.08 15:28:06
Reason: For Digital Signature
Location: MAHARAJGANJ

16/10/22

Digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

Digitally signed by SOMNATH
Date: 2025.08.19 14:33:04 +05:30
Reason: reason
Location: location

(16)

Office of the District Basic Education Officer

MAHARAJGANJ

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that K D S INTERNATIONAL SCHOOL,LAXMIPUR EKDANGA is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number alloted to K D S INTERNATIONAL SCHOOL is MAH0957367567.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	14-09-2023(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Upper Primary School(6 to 8)
5.Recognition No.	MAH0957367567

DATE:- 14-09-2023

PLACE:- MAHARAJGANJ

District Basic Education Officer

Digitally signed by SHRAWAN KUMAR
Date: 2023.09.14 13:48:42
Reason: For Digital Signature
Location: MAHARAJGANJ

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.premaup.in

17

कार्यालय– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज।
(जिला–महराजगंज, उ0प्र0)

संख्यांक : A–19

प्रबन्धक,

केंडी0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल, लक्ष्मीपुर एकडंगा,
सिसवां, जनपद–महराजगंज।

पत्रांक / मान्यता / 1518–21 / 2020–21 / दिनांक: 04 अगस्त, 2020

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

नवीन शासनादेश संख्या–89 / अरसठ–3–2018–2041 / 2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 व शासनादेश संख्याः 196 / अड़सठ–3–2020–2041 / 2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 दिनांक 29 जून,2020 में उल्लिखित निर्देशानुसार आपके आवेदन पत्र दिनांक 20.07.2020 और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश के अनुपालन में जनपदीय मान्यता समिति द्वारा सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय दिनांक 24.07.2020 के फलस्वरूप सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सप्तम मण्डल, गोरखपुर द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के पश्चात केंडी0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल, लक्ष्मीपुर एकडंगा, सिसवां, महराजगंज को (कक्षा–01 से 05 तक) अंग्रेजी माध्यम की अस्थायी मान्यता दिनांक 25.07.2020 से दिनांक 24.07.2021 तक एक वर्ष अवधि के लिये औपबंधिक मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैः–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 5 के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2)के उपबन्धों का पालन करेगा।

3–विद्यालय कक्षा–1 में, उस कक्षा की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4–पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है।

(vi) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(vii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

7–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों को बनाए रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	:– 0.607 हे0
कुल निर्मित क्षेत्र	:– 8052 वर्ग फिट
कीडा–स्थल का क्षेत्रफल	:– खेल का मैदान पर्याप्त है।
कक्षाओं की संख्या	:– 06
प्राध्यापक–सह कार्यालय सह भांडागार के लिये कक्ष	:– 02
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	:– 01+01=02

पेयजल सुविधा :– 02 नल
मिड–डे मील पकाने के लिये रसोई – है।
बाधारहित पहुंच – मार्ग उपलब्ध है।
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता– उपलब्ध है।

9–विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाए नहीं चलाई जायेंगी।

10–विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

11–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12–स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14–आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक: A–19 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15–विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16–विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।

17–हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढायी जायेगी।

18–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

19–विद्यालय प्रबन्धक/सोसाइटी और कर्मचारी समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

20–शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली 1978 में विहित प्रकिया अपनायी जायेगी।

21–जिस विद्यालय भवन पर उक्त मान्यता प्रदान की जा रही है, उस विद्यालय भवन पर पूर्व से प्राप्त की गयी मान्यता स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

22–बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तको का उपयोग किया जायेगा।

23–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पुर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग (सेक्शन) न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।

24–मान्यता आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्राजातों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण/तथ्य असत्य पाये जाते है अथवा कोई तथ्यगोपन पाया जाता है या मान्यता आदेश प्रमाण–पत्र में जिन कक्षाओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षाएं संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण–पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

(जगदीश प्रसाद शुक्ल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

पृ0सं0/मान्यता/ /2020–21 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि:–निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2–जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, महराजगंज।
3–संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद–महराजगंज।
4–कार्यालय गार्ड फाइल हेतु।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।